भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–06/2011–12

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>20.10.2021</td><td>
अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक दुर्गा महतो, पिता–स्व0 मदन महतो, निवासी–दंदासाई, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–54/2011–12, दिनांक–04.11.2011 में पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या–06/2011–12 दायर किया गया है।
<u>भूमि का विवरणी</u>
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td rowspan="2">नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0–16</td><td rowspan="2">149</td><td>77a</td><td>0.04.813 ए0</td></tr>
<tr><td>77b</td><td>0.00.187 ए0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल रकवा</td><td>0.05.000 ए0</td></tr>
</table>
आवेदक द्वारा लिखित रूप से आवेदन पत्र समर्पित कर बताया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–490/2015–16, दिनांक–19.11.2015 द्वारा हो चुका है। आवेदक द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या–06/2011–12 की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः आवेदक के आवेदन पत्र पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक का नामांतरण हो चुका है। इसलिए इस वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना एवं वाद की कार्रवाई को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
अतः उक्त नामांतरण वाद में गुण–दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।
Digitally signed by ABHIJEET SINHA
Date: 2021.12.23 13:30:24 +05:30
Location: 192.168.225.91
</td><td></td></tr>
</table>